प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 116/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाओं'' पर सिफारिशें जारी की

नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाओं'' पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दिनांक 2 जुलाई, 2019 के इसके पत्र के तहत एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें डीटीएच दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्लेटफार्म सेवाओं से संबंधित कुछ मुद्दों को शामिल करने के लिए भादूविप्रा से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

3. विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और उद्योग हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा ने 28 अगस्त, 2019 को ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाओं'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारको ंसे लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां क्रमशः 4 अक्टूबर 2019 और 11 अक्टूबर, 2019 तक आमंत्रित की गई थी। प्राप्त सभी टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। तत्पश्चात, विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों की अतिरिक्त टिप्पणियां प्राप्त करने क लिए दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2019 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था।

4. उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाओं'' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया।

5. सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंः

क) प्राधिकरण 19 नवंबर 2014 की 'प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क' में अनुशंसित पीएस की परिभाषा को दोहराता है। डीटीएच ऑपरेटरों के लिए प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) की परिभाषा इस प्रकार होगीः

''प्लेटफॉर्म सेवाएं (पीएस) वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) द्वारा विशेष रूप से अपने ग्राहकों के लिए प्रसारित कार्यक्रम हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल और पंजीकृत टीवी चैनल शामिल नहीं हैं। पीएस में वे विदेशी टीवी चैनल भी शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं।''
"पंजीकृत टीवी चैनलों या टेलीविज़न चैनलों का अर्थ ऐसे चैनल से है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों या संशोधित नियमों के तहत डाउनलिंकिंग अनुमति दी गई है। "चैनल" शब्द का प्रयोग "टेलीविजन चैनल" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।''

ख) डीटीएच ऑपरेटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम विशिष्ट होगा और इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) के साथ साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

ग) डीटीएच ऑपरेटर द्वारा एक प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में प्रसारित कार्यक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पंजीकृत टीवी चैनल या दूरदर्शन चैनल या विदेशी टीवी चैनल को शामिल नहीं करेगा। पंजीकृत टीवी चैनलों की टाइम–शिफ्ट फीड (जैसे +1 सेवाएं) को प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) डीटीएच ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा और वह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को वचन देगा कि प्रसारित कार्यक्रम उनके प्लेटफार्म के लिए विशिष्ट है और किसी अन्य डीपीओ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं किया गया है।

ड.) यदि ऐसा ही कार्यक्रम किसी अन्य डीपीओ के पीएस पर उपलब्ध है, तो एमआईबी/भादूविप्रा ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। एमआईबी को डीटीएच ऑपरेटर के ऐसे पीएस के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी है।

च) डीटीएच ऑपरेटर के लिए अनुमत पीएस की कुल संख्या डीटीएच ऑपरेटर प्लेटफॉर्म की कुल चैनल वहन क्षमता का 3% और अधिकतम 15 प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों के अधीन होगी।

छ) 10,000 रु. प्रति पीएस चैनल का एकबारगी गैर–वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क, डीटीएच ऑपरेटर से लिया जाएगा।

ज) भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल गाइड (ईपीजी) में प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों को 'प्लेटफॉर्म सेवाओं' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

ञ) प्लेटफ़ॉर्म सेवा का संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अधीन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म सेवा के लिए ईपीजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

ट) प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को लाइनियर चैनलों से अलग करने के लिए 'प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं' के रूप में कैप्शन का प्रावधान आवश्यक होगा। सरकार कैप्शन को एक ऐसे आकार में तय कर सकती है जो उपभोक्ताओं द्वारा देखकर पढ़ने योग्य हो।

6. ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाओं'' पर सिफारिशें भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर.:+91-11-23220209 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>